भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना।

वर्ष 2016-2017

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभिलेखों/ पांडुलिपियों/ दुलर्भ पुस्तकों, अभिलेखीय छाया चित्रों, प्रिंट्स, (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफ) एवं इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की मार्ग-दर्शिका के संकलन, प्रकाशन, सूचीकरण, सूची पत्रीकरण, मरम्मत, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन, दस्तावेज कक्षों की एअर-कंडीशिनिंग, रेप्रोग्राफी तथा संरक्षण सामग्रियों तथा कम्प्यूटर की खरीद, तथा भवन निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन/नवीकरण के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए (पचास लाख रुपए) है, जो कि 75:25 के अनुपात में दी जाती है, जिसमें परियोजना की पूरी लागत में केंद्रीय सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत होता है।

वे अभिलेख जिनकी अनुदान समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सिफारिश की गई, उन्हें एकमुश्त 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहां पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर अवश्य भेज दिए जाएं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalalarchives.nic.in पर Grants-in-aid Section home page पर देखें।